न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गुर्जर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—007 / 2025 दायर दिनांक :—11.06.2025

जीसीएमएस नं. 2025 / 264

अरूण कुमार पुत्र समयदास जाति जाटव निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली। ———————————————————— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——————————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपस्थित —1.श्री अशोक नीमनका प्रार्थी

2.पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार कटकड

निर्णय दिनांक :—17.07.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा न0 3723 / 4489 रकबा 31 ऐयर, 3733 / 4490 रकबा 83 ऐयर, 3734 रकबा 1.36 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन को वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिसकी हिस्सेदारी व बंटवारे को लेकर खातेदारान के मध्य आपस में कोई विवाद नहीं है और खातेदारान के मध्य आपस में कोई विवाद नहीं है और खातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसका आपस में कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी को स्वयं ही काश्त करता चला आ रहा है और पडौसियों से किसी प्रकार का विवाद नहीं है लेकिन भविष्य में उक्त आराजीयात को लेकर डौल—मेढ का विवाद उत्पन्न न हो इसलिये प्रार्थी अपनी उक्त आराजी स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की पत्थरगढी जरिये हल्का पटवारी कराना चाहता है जिससे खेत के पडोसियों से प्रार्थी के मधुर सम्बंध कायम रह सके एवं प्रार्थी अपने खातेदारी के खेतों की सुरक्षा भी वैधानिक रूप से कर सके उक्त उद्देश्य की पूर्ति बाबत प्रार्थना पत्र करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 03.06.2025 को प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तहसील हिण्डौन से पत्थरगढी बाबत निवेदन किया तो

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तहसीलदार हिण्डौन ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत फरमायी है इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर आराजी स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की पत्थरगढी के आदेश प्रदान फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पत्रांक 1409 दिनांक 16.06.2025 से जबाब पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से हैं कि इस मद में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 3723/4489 रकबा 0.31 है0, 3733/4490 रकबा 0.83 है0, 3734 रकबा 1.36 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रार्थी अरूण कुमार जाटव पुत्र समयदास जाटव जाति जाटव सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी, प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज आराजीयात का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी खातेदारी की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कराते हुए पत्थगढी कराने का पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने के लिए कोई निवेदन दिनांक 03.06.2025 को नहीं किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने के लिए स्वतंत्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के विशेष विवरण में दर्ज किया है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पटवारी हल्का कटकड से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.06.2025 में अंकित किया है कि ग्राम कटकड की आराजी खसरा नम्बर 3723/4489 रकबा 0.31 है0, 3733/4490 रकबा 0.83 है0, 3734 रकबा 1.36 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 2.50 है0 सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु धारा 128 के तहत मौका देखा। उक्त खसरा नम्बरान मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम कटकड सम्बत् 2071—74 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी जमाबन्दी खाता संख्या 1384 अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदार अरूण कुमार जाटव पुत्र समयदास जाटव हि0 पूर्ण जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बरान मुताविक मौका वर्तमान में खाली है. मौका अनुसार राजस्व टीम को सीमाज्ञान एवं पत्थरगदी कराने कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर सीमाज्ञान कराते समय झगडे की सम्भावना बन सकती है। अतः पुलिस इमदाद एवं मौका मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किया जाना सम्भव होगा।

अतः ग्राम कटकड की आराजी खसरा नम्बर 3723/4489 रकबा 0.31 है0, 3733/4480 रकबा 0.83 0. 3734 रकबा 1.36 है० कुल किता 03 कुल रकबा 2.50 है० सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराने में अप्रार्थी को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 खाता संख्या 1384 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन पेश की है।

वकील प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3723/4489 रकबा 0.31 है0, 3733/4490 रकबा 0.83 है0, 3734 रकबा 1.36 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाने का निवेदन किया एवं पैरोकार सरकार द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त विवादित आराजी भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान पत्थरगढी कराने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

उभयपक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी नवीन खाता संख्या 1384 के खसरा नम्बर 3723/4489 रकबा 0.31 है0, 3733/4490 रकबा 0.83 है0, 3734 रकबा 1.36 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदारी अरूण कुमार जाटव पुत्र समयदास जाटव सा. देह खातेदार वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 3723/4489 रकबा 0.31 है0, 3733/4490 रकबा 0.83 है0, 3734 रकबा 1.36 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी खातेदारी की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने का अधिकारी है तथा तहसीलदार हिण्डौन ने भी अपने जबाव में प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अनुसार उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराते समय मौके पर झगडा होने की सम्भावना बताई है। पुलिस इमदाद एवं मौका मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किया जाना सम्भव होगा। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3723/4489 रकबा 0.31 है0, 3733/4490 रकबा 0.83 है0, 3734 रकबा 1.36 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन वाके ग्राम कटकड का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुॅचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3723/4489 रकबा 0.31 है0, 3733/4490 रकबा 0.83 है0, 3734 रकबा 1.36 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खातेदार को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें एवं सीमाज्ञान व पत्थरगढी में आवश्यकता होने पर पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में कार्यवाही संपादित करावे तथा प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन 15 दिवस में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 17.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/07/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)